संख्या-19/2458/26-3-2014

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

विषयः सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत देय पेंशन, समाजवादी पेंशन तथा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति के कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति व दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि PFMS प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/30-टी0सी0-1 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के **प्रस्तर-2** में विद्यमान व्यवस्था "प्रथम किश्त के रूप में इस वित्तीय वर्ष के 06 माह की राशि का भुगतान होगा और तदुपरांत मासिक किश्तों में पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा" के स्थान पर अब **निम्न संशोधन** किया जाता है :-

"प्रथम किश्त के रूप में इस वित्तीय वर्ष के 07 माह की राशि का भुगतान होगा और तदुपरांत द्वितीय किश्त में अवशेष 5 माह की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।"

3- इसी प्रकार उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के **प्रस्तर-3** में विद्यमान व्यवस्था "अतएव प्रथम किश्त के रूप में इस वित्तीय वर्ष के 07 माह की राशि का भुगतान होगा और तदुपरांत मासिक किश्तों में पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा" के स्थान पर **निम्न संशोधन** किया जाता है :-

"अतएव प्रथम किश्त के रूप में इस वित्तीय वर्ष के 08 माह की राशि का भुगतान होगा और तदुपरांत द्वितीय किश्त में अवशेष 04 माह की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।"

4- कृपया उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 10 सितंबर, 2014 के प्रस्तर-2 एवं 3 को संशोधित किया जायेगा। शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या 2458(1)/26-3-2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/महिला कल्याण/विकलांग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0।
4. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।
6. संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी0एफ0एम0एस0, महालेखा नियंत्रक कार्यालय, सातवां तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
7. महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, गवर्नमेंट बिजनेस, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी पी0एफ0एम0एस0, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in